कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अरूण कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गोयल, के एच-156, कवी नगर, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**011 / 14, 10.02.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अरूण कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गोयल, के एच-156, कवी नगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 10.02.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' powered speaker '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी के क्रमांक-2 पर अंकित '' Microphones, multimedia speakers, headphones, earphones and combined microphone / speaker sets and their parts " प्रविष्टि के अन्तर्गत ही powered speaker आता है। कस्टम विभाग के अन्तर्गत भी speaker तथा powered speaker एक ही टैरिफ के अन्तर्गत आते हैं। सामान्य स्पीकर एवं पावर्ड स्पीकर में भिन्नता के सम्बन्ध में बताया गया कि powered speaker में एम्प्लीफायर in built होता है तथा इसमें स्पीकर स्तर से ही आवाज को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। सामान्य स्पीकर में आवाज के उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करने की सुविधा नहीं होती है अपितु अलग से रखे गये एम्प्लीफायर के माध्यम से आवाज को बढ़ाया व घटाया जाता है। प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि करदेयता के निमित्त किसी अधिनियम में यदि विशिष्ट प्रविष्टि उपलब्ध है तो उसी अधिनियम में सामान्य प्रविष्टि के अन्तर्गत करदेयता निर्धारित नहीं की जा सकती है अर्थात सामान्य प्रविष्टि पर विशिष्ट प्रविष्टि सदैव उपरिगामी प्रभाव रखती है। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उद्धरण एवं विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा बिक्री किये जाने वाले powered speaker अथवा self-powered speaker को कम्प्यूटर, सी0 डी0 प्लेयर, वी0 सी0 डी0 प्लेयर एवं यू0 एस0 वी0 प्लेयर इत्यादि से जोड़ते हुए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस स्पीकर में किसी स्टोरेज डिवाइस से सीधे इनपुट नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार powered speaker एक प्रकार का multimedia speaker ही है जिस पर उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए। प्राथी द्वारा सुनवाई के समय self-powered speaker एवं सामान्य स्पीकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई जिसकी छवि निम्न प्रकार सुरक्षित की गई :-

.....2

<u>सर्वश्री अरूण कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश गोयल / प्रा0 पत्र सं0-011 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

अन्त में प्रार्थी द्वारा powered speaker अथवा self-powered speaker को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-2 पर वर्णित multimedia speaker की भाँति मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-4033, दिनांक 12.03.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-2 में जिन वस्तुओं का उल्लेख है वे मुख्यत: कम्प्यूटर एवं मोबाइल फोन में प्रयुक्त होने वाले अत्यन्त कम क्षमता के फोन एवं स्पीकर्स के सेट एवं उनके पार्ट्स के सम्बन्ध में है। उक्त प्रविष्टि में जिन फोन्स एवं स्पीकर्स का उल्लेख है वे मुख्यत: बहुत कम क्षमता के इन्टरनल एम्प्लीफायर से युक्त होते हैं तथा उनमें ऑडियो कनेक्शन 3.5 mm स्टीरियोफोन कनेक्टर से जुड़े होते हैं। उक्त प्रविष्टि में उल्लिखित स्पीकर्स मुख्यत: 5 Volt की 500 मिली एम्पीयर की करेन्ट से जुड़े होते हैं, जिससे लगभग 2.5 Watts की पावर निर्गत होती है, जबकि पावर्ड स्पीकर, जिसे सेल्फ पावर्ड स्पीकर अथवा एक्टिव स्पीकर भी कहते हैं, ऐसे Loud Speakers हैं, जिसमें amplifier in built होता है। इन्हें मिक्सिंग कन्सोल से सीधे जोड़ा जा सकता है। बिना किसी वाह्य एम्प्लीफायर के इनकी Modulation distortion अत्यन्त कम होती है एवं इनकी डायनामिक रेन्ज और Sound pressure level (SPL) अत्यधिक होता है। इस प्रकार पावर्ड स्पीकर एक नई वस्तु है जो बाजार में मुख्यत: बड़े-बड़े लाइव साउण्ड इन्फोर्समेन्ट एवं म्यूजिकल प्लेबैक एवं कॉन्सर्ट आदि में प्रयोग किया जाता है।

...3

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार का पावर्ड स्पीकर सोनी कम्पनी का मॉडल नम्बर-SA-D-10 (4.1) बाजार में बिकता है, जिनमें सीधी पेन ड्राइव लग जाती है इसमें भी अलग से किसी एम्प्लीफायर की जरूरत नहीं होती है । इस पर सोनी कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% + 1.5% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है । मेरे विचार से आवेदन कर्ता द्वारा उल्लिखित पावर्ड स्पीकर को शेड्यूल-V के अन्तर्गत करदेय होना चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि self-powered speaker को कम्प्यूटर, सी0 डी0 प्लेयर एवं यू0 एस0 वी0 प्लेयर के साथ जोड़ते हुए प्रयोग में लाया जाता है । कम्प्यूटर सिस्टम से सामान्य प्रकार के स्पीकर एवं self-powered speaker, जिसकी विशिष्टता in built एम्प्लीफायर के माध्यम से Volume के उतार-चढ़ाव पर नियन्त्रण के कारण है, दोनों को जोड़ते हुए प्रयोग किया जा सकता है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-2 पर उल्लिखित multimedia speakers का तात्पर्य ऐसे समस्त स्पीकर्स से है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता हो । powered speaker, non powered speaker एवं multimedia speakers का प्रयोग कम्प्यूटर सिस्टम के साथ किया जा सकता है । तीनों प्रकार के स्पीकर का प्रयोग आवाज को विस्तार देने के लिए किया जाता है । जहॉ तक सोनी कम्पनी के powered speaker मॉडल नम्बर-SA-D-10 (4.1) का प्रश्न है तो इस मॉडल में यू0 एस0 वी0 ड्राइव से सीधे इनपुट दिया जाता है तथा in built मीडिया प्लेयर से प्ले करते हुए स्पीकर से आवाज को विस्तार दिया जाता है जबकि प्रार्थी द्वारा जिस powered speaker पर करदेयता जाननी चाही गयी है उसमें किसी स्टोरेज डिवाइस से सीधे इनपुट नहीं दिया जा सकता है तथा न ही इसमें कोई मीडिया प्लेयर in built होता है । अत: दोनों स्पष्ट रूप से भिन्न हैं ।

प्रार्थी द्वारा जिस powered speaker पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, उसे प्रस्तुत किया है । सामान्य स्पीकर एवं powered speaker में एकमात्र अन्तर amplifier in build होना है । अन्य कोई अन्तर नहीं है । यह भी एक प्रकार का multimedia speaker ही है । अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-2 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सामान्य स्पीकर एवं self-powered speaker का अवलोकन किया गया । पाया गया कि self-powered speaker में एम्प्लीफायर लगे होने के कारण Volume के उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करने की विशिष्टता होती है । यह उत्पाद multimedia speakers से भिन्न नहीं है । इसका प्रयोग कम्प्यूटर सिस्टम के साथ किया जा सकता है। अत: प्रार्थी द्वारा सुनवाई के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत powered speaker अथवा self-powered speaker पर multimedia speakers की भॉति उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-2 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

....4

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

ह0 / 23.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।